न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)
मुकदमा संख्या: 09/2025
जी.सी.एम.एस. नं0: 2025/37

दर्ज दिनांक: 16.01.2025

हंस राज पुत्र घीसाराम जाति मेघवाल, निवासी डॉ अम्बेडकर नगर, ग्राम छापोली तह. उदयपुरवाटी

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार भूमिधारक जरिये तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी जिला नीमकाथाना।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अं0 धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

निर्णय दिनांक:–28.04.2025

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया है कि ग्राम कृष्ण नगर पटवार हल्का छापोली तह. उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 3543 रकबा 1.0900 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी के पिता फौत हो चुके है जिस पर प्रार्थी काबिज है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम घासी दर्ज हो गया है जो कि गलत दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम घीसाराम है जो दुरूस्त होने योग्य है। ग्राम कृष्ण नगर तथा सुदुर ग्रामों तथा रिश्तेदारी में भी प्रार्थी के पिता को घीसाराम के नाम से ही जाना जाता था तथा जाना जाता रहा है। ग्राम कृष्ण नगर में घीसारा व घासी जाति मेघवाल का एक ही व्यक्ति था इसलिये ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति था ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के थे। प्रार्थी के पिता का सही नाम घीसाराम है प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी के पिता का नाम घीसाराम ही अंकित है। जो बिल्कुल सही अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम घासी दर्ज हो गया है जो गलत दर्ज हुआ है। इसलिये प्रार्थी अपने पिता घासी के बजाय घीसाराम दर्ज करवाना चाहता है।

अन्त में निवेदन किया है कि ग्राम कृष्ण नगर पटवार हल्का छापोली तह. उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 3543 रकबा 1.0900 हैक्टर में प्रार्थी के हिस्से 1/4 में प्रार्थी के पिता का नाम घासी के बजाय घीसाराम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार उदयपुरवाटी को दिये जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी की तलबी वास्ते जबाबदेही तय की गई। अप्रार्थी तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्र कमांक भू.अ./2025/658 दिनांक 18.03.2025 से तथ्यात्मक जांच प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम कृष्ण नगर स्थित भूमि ख.नं. 3543 रकबा 1.0900 हैक्टर में प्रार्थी का नाम घासी के स्थान पर घीसाराम पुत्र गणपत दर्ज किया जाना उचित है।

बहस प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि कि ग्राम कृष्ण नगर पटवार हल्का छापोली तह. उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 3543 रकबा 1.0900 हैक्टर अवस्थित है। उक्त वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

SCAN AnyScanner

भूमि मे प्रार्थी के पिता का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी के पिता फौत हो चुके है जिस पर प्रार्थी काबिज है उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के पिता का नाम घासी दर्ज हो गया है जो कि गलत दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी के पिता का सही नाम घीसाराम है जो दुरूस्त होने योग्य है। ग्राम कृष्ण नगर तथा सुदुर ग्रामों तथा रिश्तेदारी में भी प्रार्थी के पिता को घीसाराम के नाम से ही जाना जाता था तथा जाना जाता रहा है। ग्राम कृष्ण नगर में घीसारा व घासी जाति मेघवाल का एक ही व्यक्ति था इसलिये ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति था ये दोनो नाम एक ही व्यक्ति के थे। प्रार्थी के पिता का सही नाम घीसाराम है प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजात में भी प्रार्थी के पिता का नाम घीसाराम ही अंकित है। जो बिल्कुल सही अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण प्रार्थना-पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थी के पिता का नाम घासी दर्ज हो गया है जो गलत दर्ज हुआ है। इसलिये प्रार्थी अपने पिता घासी के बजाय शुद्ध/दुरूस्त करने के आदेश जारी किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। बहस श्रवण करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर इस निर्णय पर पहुचंते है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

-::आदेश::-

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कृष्ण नगर पटवार हल्का छापोली तह. उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि ख.नं. 3543 रकबा 1.0900 हैक्टर में प्रार्थी के पिता के हिस्से 1/4 में प्रार्थी के पिता का नाम घासी के बजाय घीसाराम शुद्ध/दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उदयपुरवाटी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी